संख्या-15/2022/291/26-3-2022-10(28)/1999 टी.सी.

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी 2022

विषयः-**समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शतप्रतिशत अनुदानित विमुक्त जाति आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1537/स0क0/लेखा-बजट/स0प्र0अनु0/आ0प0वि0/वि0जा0/2021-22, दिनांक-01.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शत प्रतिशत अनुदानित विमुक्त जाति आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-80-800-03-02-विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-440.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-293.34 लाख (रू0 दो करोड़ तिरान्वे लाख चौतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)-वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 के आलोक में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये धनराशि का आहरण कोषागार से किया जायेगा।

(2)-एकमुश्त व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(3)-विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्या की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा कम्प्यूटर संख्या-ई-4-3469-दस-2021-2022 दिनांक 24.02.2022 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

संख्या-15/2022/291(1)/26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।